राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 609/2025

बनवीर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, यातायात एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.03.2025
आदेश की दिनांक : 25.03.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिनेश कुमार ओझा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) को चुनौती दी गई है जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजसमन्द से परिवहन मुख्यालय, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा आलौच्य आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका संख्या SB Ciwil Writ Petition संख्या 3076/2025 द्वारा चुनौती दी गई जिसमें अपीलार्थी की याचिका को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2025 को पारित आदेश द्वारा खारिज किया जा चुका है। उसी आलौच्य आदेश को पुनः अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा स्वास्थ्य कारणों के आधार पर आलौच्य आदेश को चुनौती नहीं दी गई। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने स्वास्थ्य कारणों के आधार पर आलौच्य आदेश को चुनौती दी है।

3. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा चुर्नाती दी जा चुकी है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की याचिका को खारिज किया जा चुका है, अतः उसी आलौच्य आदेश को पुनः अन्य आधार पर अधिकरण के समक्ष चुनौती दिया जाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है और विधि के स्थापित प्रतिमानों के प्रतिकूल है। अतः अपील अपीलार्थी बलहीन, सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य